न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

भंवरलाल बनाम बजरंगलाल

किस्म मुकदमा अपील मु.नं. 179 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
18/11/25	वकील प्रार्थी द्वारा यह आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। आवेदन दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तलब कर मिसल नियत तिथि 04.12.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर
4/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली बाबते तलबी अप्रार्थीगण निगरानी न्यायालय को पेश हो।
24/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्वयं अनुपस्थित। न्यायालय समक्ष में वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को बार-बार आवाज लगाई गई। उक्त के पश्चात भी कोई भी उपस्थित नहीं होने पर पत्रावली रामी तथा पर अग्रिम पेशी। इस तारीख को पारित किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं। प्रार्थी नियम 39 रूल 1 व 2 तलबी गवाहान उपरांत हो।

उपखण्ड अधिकारी
धोद जिला-सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2026.01.01 12:24:04 IST
Reason: SelfAttested